

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026¹⁰⁵¹⁶ न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-^{30/09/26}

विकास आयुक्त -सह- अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक-31.07.2026 को आहूत चौदहवीं बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 24 के तहत तैयार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप, पटना के विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना, 2047 (प्रारूप) को उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत गजट में प्रकाशन की तिथि से अगले 60 दिनों तक के लिए आमजनों/हितधारकों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए उक्त प्रारूप को विभागीय अधिसूचना संख्या-8023, दिनांक-01.08.2026 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

2. पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के विकास योजना, 2047 (प्रारूप) पर सुझाव प्राप्त करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त प्रारूप पर आमजनों/हितधारकों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए दिनांक-15.10.2026 तक अवधि विस्तारित की जाती है।

3. उक्त से संबंधित आपत्ति/सुझाव श्री मनोज कुमार (भा०प्र०से०), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को डाक/कुरियर से अथवा Email (udhd@bihar.gov.in) पर भेजा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मनोज कुमार)

अपर सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026¹⁰⁵¹⁶ न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक-^{30/09/26}

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना/अध्यक्ष, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर

कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—समाहर्ता—सह जिला निबंधक, पटना/जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नौबतपुर/पुनपुन/अंचलाधिकारी, नौबतपुर/पुनपुन/सम्पतकचक/धनरूआ/दनियावां/मसौढ़ी/पटना ग्रामीण/फुलवारीशरीफ को सूचनार्थ तथा सुलभ स्थल पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग